

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र


कार्य का नाम -

मा. मुख्य मंत्री की घोषणा के अर्न्तगत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग) के कि.मी. 3 से चटिग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुए सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 16 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

क्र० सं०	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग								योग	
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90		90 से अधिक
1		बांज	2	3	1	1						8

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है। क्योंकि सेतु निर्माण हेतु अन्य वैकल्पिक समरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया। सेतु जनता के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः सेतु निर्माण हेतु बांज वृक्षों के पातन की संस्तुति की जाती है। उक्त वृक्षों का पातन वन विकास निगम के द्वारा वन विभाग के शैड्यूल रेट पर नियमानुसार देय बिक्री कर अदा करने पर किया जायेगा।

  
वन वन क्षेत्राधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

वन संरक्षक